

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1581
ANSWERED ON-09/02/2026**

DoPT Guidelines for Reservation in Promotion in IITs

†1581. Dr. Faggan Singh Kulaste:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

- (a) whether the Department of Personnel and Training (DoPT) guidelines are applicable for providing reservation in promotion to engineers and technical cadre employees in IITs, if so, the details thereof;
- (b) whether instances have been recorded in IITs where reservation in promotion has been limited or deferred on the ground of 'skilled cadre' or 'specialized skills' requirements, if so, the details thereof; and
- (c) whether the Government is considering to implement a new mechanism for regular monitoring of compliance with reservation policies in promotions in IITs and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(DR. SUKANTA MAJUMDAR)

(a) to (c): The Indian Institutes of Technology (IITs) are autonomous bodies governed by the Institutes of Technology Act, 1961 as amended from time to time, and the statutes framed thereunder. Reservation in IITs for the non-teaching cadre is implemented in line with the Government of India's reservation policy to promote social justice and equitable representation. Posts are reserved as per the norms prescribed by Department of Personnel and Training (DoPT). These measures aim to ensure that opportunities in these institutions are accessible to candidates from underrepresented communities, while recruitment continues to be conducted through transparent and merit-based procedures.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1581
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

आईआईटी में पदोन्नति में आरक्षण के लिए डीओपीटी के दिशानिर्देश

1581. डॉ. फगुन सिंह कुलस्ते:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में इंजीनियरों और तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देश लागू होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईआईटी में ऐसे मामले आए हैं जहां 'कुशल संवर्ग' या 'विशेष कौशल' आवश्यकताओं के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण सीमित या स्थगित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार आईआईटी में पदोन्नति में आरक्षण नीतियों के अनुपालन की नियमित निगरानी के लिए एक नया तंत्र लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्वायत्त निकाय हैं जो समय-समय पर यथा संशोधित प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाई गई संविधियों द्वारा शासित होते हैं। सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी में गैर-शिक्षण संवर्ग में आरक्षण भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार लागू किया जाता है। पद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आरक्षित किए जाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन संस्थानों में कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अवसर सुलभ हों, जबकि भर्ती पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से आयोजित की जाए।
